

तारीख  
हुकम

25.4.18

पत्रावली पत्रावली  
अथवा पत्रावली/प्रमाणिक केसों व  
इस संबंधित 2018 में भारत में  
पत्रावली अग्रिम आवेदना दि० 01.6.18  
की चेज हो **OK**

01.6.18

पत्रावली राजस्व लॉड अदालत 2018 आफ  
चनानी में पेश हुयी। P.D. रिपोर्ट लक्ष्मीलाल  
निवाड़ी ने प्राप्त शामिल पत्रावली है।  
अतः वादी का वाद राजस्व लॉड अदालत  
की भावना के पत्रावली खिन्न जाता है। मुताबिक  
P.D. रिपोर्ट अग्रिम डिक्री किम जाने है  
आदेश दिम जाने है विस्तृत सिविल  
पृच्छ से लिया गया शामिल पत्रावली  
है। पत्रावली में प्रलभ्युमाए लेकर नम्बर  
से कम है तथा दफ्तर पाखिल है।

31  
11/6/18

केसु कोठि चनानी  
उपस्थान अधिकारी  
निवाड़ी, लखनौ

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाइ जिला टोंक

(हरिताभ कुमार आदित्य आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी निवाइ द्वारा अध्यासित)

दावा संख्या :-121 / 2015

निर्णय दिनांक:-01.06.18

उनवान

घोसी पुत्री रघुनाथ मीणा निवासी काचरिया तहसील निवाइ

- वादीया

बनाम

1. नानगी पुत्री रघुनाथ मीणा निवासी काचरिया तहसील निवाइ
2. तहसीलदार निवाइ

-प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा  
एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

पत्रावली राजस्व लोक अदालत 2018 ग्रा.पं. चनानी में पेश हुयी। तहसीलदार निवाइ से पी.डी. रिपोर्ट प्राप्त। वादीया को वाद लोक अदालत की भावना से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निवाइ से प्राप्त पी0डी0 रिपोर्ट अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है:-

1. नानगी दुख्तर रघुनाथ जाति मीणा सा.देह खातेदार राहिन आईसीआईसीआई बैंक निवाइ

ग्राम का नाम	ख0न0	रकबा (बीघा में)
काचरिया	12 / 2	01-13
काचरिया	13	00-09
काचरिया	15	00-04
काचरिया	32	03-05
काचरिया	55	01-16
काचरिया	56	00-03
काचरिया	70	00-19
काचरिया	306 / 1	01-07
काचरिया	321	01-06
काचरिया	607	00-10
काचरिया	730 / 1	02-11
काचरिया	728 / 1	00-15
कुल किता-12	कुल रकबा-	13-18

2. घोसी दुख्तर रघुनाथ जाति मीणा सा.देह खातेदार राहिन आईसीआईसीआई बैंक निवाइ

ग्राम का नाम	ख0न0	रकबा (बीघा में)
काचरिया	12 / 1	01-13
काचरिया	35	01-12
काचरिया	49	02-03
काचरिया	64	01-04
काचरिया	194	02-03
काचरिया	306 / 2	00-05

31  
उपखण्ड अधिकारी  
जिला टोंक

काचरिया	326	00-14
काचरिया	382	00-06
काचरिया	489	00-06
काचरिया	608	00-11
काचरिया	674	00-15
काचरिया	674 / 850	00-01
काचरिया	730 / 2	01-00
काचरिया	728 / 2	00-06
काचरिया	11	00-03
कुल किता-15	कुल रकबा-	13-17

3. नानगी घीसी दुखतरान रघुनाथ जाति मीणा सा.देह खातेदार राहिन आईसीआईसीआई बैंक निवाई

ग्राम का नाम	ख0न0	रकबा (बीघा में)
काचरिया	307	00-02
कुल किता-1	कुल रकबा-	0-02

तहसीलदार निवाई को उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल करने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री जारी हो। फरीकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 01.06.18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

31/6/18  
हरिताम कुमार आदित्य  
(आर ए एस) टोर  
उपखण्ड अधिकारी निवाई  
कमि कौ - 411A

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई जिला टोंक**  
(डिकी मुकदमा इब्लदाई)  
(हरिताभ कुमार आदित्य आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी निवाई )

उनवान  
**घीसी बनाम नानगी वगै.**  
दावा बाबत तकासमा  
एवं स्थायी निषेधाज्ञा  
मुकदमा नम्बर :- 121/2015

पत्रावली राजस्व लोक अदालत 2018 ग्रा.पं. चनानी में पेश हुयी। तहसीलदार निवाई से पी.डी. रिपोर्ट प्राप्त। वादीया को वाद लोक अदालत की भावना से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निवाई से प्राप्त पी0डी0 रिपोर्ट अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है:-

1. नानगी दुख्तर रघुनाथ जाति मीणा सा.देह खातेदार राहिन आईसीआईसीआई बैंक निवाई

ग्राम का नाम	ख0न0	रकबा (बीघा में)
काचरिया	12/2	01-13
काचरिया	13	00-09
काचरिया	15	00-04
काचरिया	32	03-05
काचरिया	55	01-16
काचरिया	56	00-03
काचरिया	70	00-19
काचरिया	306/1	01-07
काचरिया	321	01-06
काचरिया	607	00-10
काचरिया	730/1	02-11
काचरिया	728/1	00-15
कुल कित्ता-12	कुल रकबा-	13-18

2. घीसी दुख्तर रघुनाथ जाति मीणा सा.देह खातेदार राहिन आईसीआईसीआई बैंक निवाई

ग्राम का नाम	ख0न0	रकबा (बीघा में)
काचरिया	12/1	01-13
काचरिया	35	01-12
काचरिया	49	02-03
काचरिया	64	01-04
काचरिया	194	02-03
काचरिया	306/2	00-05
काचरिया	326	00-14
काचरिया	382	00-06
काचरिया	489	00-06
काचरिया	608	00-11
काचरिया	674	00-15
काचरिया	674/850	00-01
काचरिया	730/2	01-00
काचरिया	728/2	00-06

31  
उपखण्ड अधिकारी  
[Signature]

काचरिया	11	00-03
कुल किता-15	कुल रकबा-	13-17

3. नानगी घीसी दुखतरान रघुनाथ जाति मीणा सा.देह खातेदार राहिन आईसीआईसीआई बैंक निवाई

ग्राम का नाम	ख0न0	रकबा (बीघा में)
काचरिया	307	00-02
कुल किता-1	कुल रकबा-	0-02

तहसीलदार निवाई को उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल करने के आदेश दिये जाते हैं। फरीकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 01 माह 06 सन् 2018 को जारी की गई।

31/1/18  
 उपस्थित अधिकारी  
 निवाई, निवाई टो  
 काचरिया को - चानी